उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-134/2018/2594/92-2-18-07जॉच/2012

लखनऊ:: दिनांक 09 अक्टूबर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद कानपुर नगर में डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों (डा0 अम्बेडकर ग्राम महीपालपुर, ब्रम्हौरी एवं डा0 अम्बेडकर ग्राम धरमंगतपुर) में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा सम्पर्क मार्गो के निर्माण कार्यो की जांच में पायी गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति तथा लीन कंक्रीट में प्राविधानित सीमेंट का उपयोग न करना, जिसके कारण बेंस कंक्रीट कमजोर पाये जाने, शिथिल पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रित न करने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1066/92-2-2018-07जांच/2012 दिनांक 01-05-2018 द्वारा श्री देवजीत, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता (पूर्वी) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-455/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/अनु0जां0-828/18-19 दिनांक 26-06-2018 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01-05-2018 को एतदद्वारा निरस्त करते हुये नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में निदेशक एवं मुख्य अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि श्री देवजीत, तत्का0 प्रभारी सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर सम्प्रति अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद को जांच अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

(मो0 इफ्तेखारूददीन)

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-134/2018/2594(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-455/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-ख/अनु0जां0-828/18-19 दिनांक 26-06-2018 के क्रम में।

2- पूर्व जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (पू0क्षे0) , ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-फैजाबाद।

4- श्री देवजीत, तत्का0 प्रभारी सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर सम्प्रति अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-आगरा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।